

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र संख्या:- 388 सनि0/2014

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सहायक प्रबंधक (एम०आई०एस),
परिवहन निगम मुख्यालय।

विषय- निगम की वेबसाइट (www.upsrtc.com) के कन्टेन्ट अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय के पत्र संख्या-2237/कम्प्यूटर/
2014/वेबसाइट दिनांक 12.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

सूचना निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	जारी किये जाने की तिथि	विषय
1	71सनि/14-05सनि/14 21.02.2014	डेड एवं डिपार्टमेंटल कि०मी० पर नियन्त्रण किये जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्त संदर्भ की छायाप्रति साथ में संलग्न की जा रही है।

संलग्नक:-01

प्रभारी
(एम०के०सेव)
भण्डार सत्यापन सेल


उपरोक्त के अर्न्तगत निम्न का भी पालन किया जाये :-

- (क) चालक के मार्ग से लौटने के बाद केन्द्र प्रभारी द्वारा संचालित कि०मी० के सत्यापन के बाद ही बस में डीजल भरा जाए तथा अन्य डेड कि०मी० का सत्यापन ड्यूटी स्लिप पर भी किया जाए।
- (ख) चालक को दिये जाने वाली ड्यूटी स्लिप पर निर्धारित अर्जित कि०मी० तथा निर्धारित डेड कि०मी० का उल्लेख अलग-अलग किया जाये।
- (ग) कार्यशाला से दूर बस स्टेशन होने की स्थिति में यदि बस को स्टेशन तक खाली जाना पड़ता है तो डेड कि०मी० को निर्धारित डेड कि०मी० माना जाये तथा उसका उल्लेख सेवावार बस वर्किंग डायग्राम में भी कर दिया जाये।
- (4) यदि कोई बस डिपार्टमेन्टल कि०मी० करती है तो उक्त कि०मी० के सम्बन्ध में फोरमैन / केन्द्र प्रभारी उक्त कि०मी० का सत्यापन कर निम्न प्रारूप में अलग पंजिका में सूचना संकलित कराकर अपनी हस्तलिपि में डिपार्टमेन्टल कि०मी० का अंकन करेंगे।


दिनांक	वाहन सं०	चालक का नाम	ड्यूटी स्लिप नं०	संचालित डिपार्टमेन्टल कि०मी०	डिपार्टमेन्टल कि०मी० का कारण	फोरमैन / केन्द्र प्रभारी का नाम / हस्ताक्षर

- (5) आकस्मिक मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति को छोड़कर यदि मार्ग तीन दिन से अधिक अवरुद्ध रहता है तथा बसे घूम कर डेड कि०मी० कर रही हैं तो ऐसी दशा में घूमने से बढ़े हुये कि०मी० का किराया बढ़ा कर चार्ज किया जाये।
- (6) प्राइवेट डीजल पम्प से डीजल लेने की स्थिति में, बिना गुणवत्ता से समझौता किये प्राप्त होने वाली डिस्काउन्ट तथा सम्भावित डेड कि०मी० पर विचार करके ही प्राइवेट डीजल पम्प का चयन किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


20/02/14
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 1.अपर प्रबन्ध निदेशक,निगम मुख्यालय लखनऊ।
 - 2.मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि०)/संचा०/प्रशा०,निगम मुख्यालय लखनऊ।


20.02.2014
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक